

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 08/09/2023

विषय:-

डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध की राशि रु० 60,00,000=00 (साठ लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 143/बजट दिनांक 01.09.2023 के आलोक में डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध की राशि रु० 60,00,000=00 (साठ लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :-
2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालय को सहायता, BG- डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड-21S220203102BG000679

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. राशि की निकासी निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी-

(क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि /बकाया पेंशनादि का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

(ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।

(ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।

(घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जाँच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पेंशनादि के भुगतान हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियम/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियम/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनादि भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्यवाई की जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(छ) नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. स्वीकृत्यादेश संख्या 143/बजट दिनांक 01.09.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनु02-03/2016 (उ0शि0) 148/805 /रॉची, दिनांक- 08/09/2023

प्रतिलिपि - महालेखाकार, हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनु02-03/2016 (उ0शि0) 148/805 /रॉची, दिनांक- 08/09/2023

प्रतिलिपि - विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

8/9/23



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

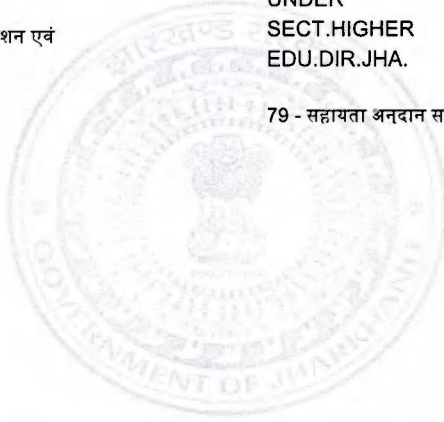
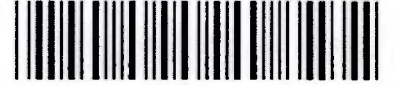
Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/ANU02-03/2016/148/BUDGET

दिनांक - 08-Sep-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BG000679 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों की सहायता BG - डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हेतु सहायता अन्दान 00-NA 06 - अन्दान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	52267	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 79 - सहायता अन्दान सामान्य (गैर-वेतन)	6,000,000.00 रुपये साहठ लाख



योग: रुपये साहठ लाख
क्रमिक योग:

6,000,000.00

(GARIMA SINGH)
DIRECTOR